कार्यालय अंचल अधिकारी,चास (बोकारो)।

भू–मापी अभिलेख संख्या : 30/2017–18

दिनांक 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	अभ्युक्ति 3
07/11/17	**आदेश** आवेदक श्री विभुति महतो, पिता–चन्द्रधर महतो, सा0–पत्थरकट्टा साईड, चास, थाना–चास, जिला–बोकारो द्वारा दिए गए आवेदन में मौजा–खमारबेंदी, थाना सं0–91 के खाता सं0–402, प्लॉट सं0–35, रकवा–0.29 ए0 भूमि का मापी के आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रश्नगत भूमि की मापी दिनांक 25.09.2017 को निर्धारित की गई है। उक्त पत्र के आलोक में अंचल अमीन द्वारा मापी किया गया। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–खमारबेंदी, थाना सं0–91 के खाता सं0–402, प्लॉट सं0–35, रकवा–0.29 ए0 भूमि की मापी करने स्थल पर गया। स्थल पर आवेदक अपना राजस्व कागजात के साथ उपस्थित थे एवं चास (मु0) थाना के पुलिस बल भी उपस्थित थे। आवेदक द्वारा दिखाये गये कागजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक के पिता चन्द्रधर महतो पिता स्व0 जयराम महतो को बोकारो स्टील उद्योग विभाग के द्वारा पूनर्वास के लिए मौजा खमारबेंदी, थाना सं0–91 के खाता सं0–402, प्लॉट सं0–02 पूनर्वास प्लॉट सं0–35, रकवा–0.29 ए0 भूमि केश नं0 12/62–63 से प्राप्त है, जिसका चौहद्दी उ0 पूनर्वास प्लॉट सं0 36 उद्योग विभाग द0 कान्ड्रा ग्रामीण सीमा, पू0 पूनर्वास सड़क पश्चिम पूनर्वास प्लॉट सं0 32,33 वो 34 उद्योग विभाग है। पूनर्वास प्लॉट सं0 35 एवं चौहद्दी मुताबिक भूमि को मापी कर चिन्हित कर दिया गया जिसमें दक्षिण तरफ से 0.03 ए0 भूमि पर मकान बना हुआ है जिसमें विभूति महतो पिता स्व0 चन्द्रधर महतो के हिस्सा में है। उक्त भूमि को ट्रेश नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है। आवेदक की भूमि का मापी कर सीमांकन कर दिया गया है। अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं ट्रेश नक्शा के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, चास।	